रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 1982/फाल्गुन 17, 1903
No. 89] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 1982/PHALGUNA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1982

का.आ. 129(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व विभाग के आदेश सं. का.आ 471(अ) (सं. 5/प्रशा. (7)/78-एस. ए. एफ. ई. एम. ए.) दिनांक 28 जुलाई, 1978 का निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में स्तम्भ 1 में श्री एन. सुब्रमणियन के स्थान पर 'श्री एम. एम. पारीख' रखा जाएगा ।

[सं. 4504/(फ.सं. प्रशासन (18)/80-सफेमा)]

ए. एन. मिश्र, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 8th March, 1982

S.O. 129(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, (13 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 471(E)(No. 5/Admn (7)/78-Safema) dated the 28th July, 1978, namely :—

In the Table below the said Order, Under column (1) for "Shri N. Subramanian", "Shri M. M. Parikh" shall be substituted.

[No. 4504/(F. No. Admn./(18)/80-Safema)]

A. N. MISRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982